# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

## पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः– 47 / 2023

| प्रार्थीया | बनाम | अप्रार्थी |
| --- | --- | --- |
| 01. संगीता सिंघवी पुत्री स्व0 ताराचंद जाति जैन निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0 | | 01. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0। |

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

01. श्री गजेन्द्र दवे, श्री भगवती प्रसाद, श्री सुनील दवे, श्री अर्जुन चौहान अधिवक्तागण प्रार्थीया उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक : 26/03/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लुण्डावास भू. अ.नि.क्षेत्र रूपावास पटवार हल्का चाडवास तहसील सोजत में प्रार्थीया की संयुक्त मालिकाना, हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 724 रकबा 0.7600 हैक्टर की आई हुई स्थित है जिसमे प्रार्थीया का 1/18 वां हक हिस्सा आता है। उक्त भूमि के पड़ौसी भूमि मालिकों द्वारा हर समय माठ व धोरा पाली को लेकर विवाद किया जा रहा है। इसलिए उक्त खसरा के पत्थरगढ़ी के जरिए पैमाईस करवाया जाकर मुटाम लगवाया जाना कानून्न आवश्यक है। प्रार्थीया के द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की पैमाईश कर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार सोजत के द्वारा पैमाईश व सीमाकंन कर पत्थरगढ़ी किये जाने से इंकार कर मौखिक रूप से यह निर्देश दिये की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत से आदेश पारित करवाना होगा तथा पड़ौसी खातेदारों द्वारा मौके पर विवाद करने की स्थिति होने की वजह से भी मौके पर माप सीमाकंन कर पैमाईश किया जाना संभव नहीं हो सका, इसलिए उक्त कृषि भूमि का सीमाकंन व पैमाईश करने व पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने का अन्य कोई विकल्प नहीं रहा है। इस प्रकार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा लुण्डावास के खसरा नम्बर 724 रकबा 0.7600 हैक्टर का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने के आदेश प्रदान फरमाया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

किया कि हस्व प्रार्थना पत्र सरहद मौजा लुण्डावास तह0 सोजत में प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 724 रकबा 0.76 है0 की आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि के पड़ोसी खातेदारान के मध्य उक्त कृषि भूमि के बीच स्थित गाठ व सीमाओं तथा धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे प्रार्थीया द्वारा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम लगाये जाने हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा लुण्डावास भू.अ.नि.क्षेत्र रूपावास पटवार हल्का चाडवास तहसील सोजत में प्रार्थीया की संयुक्त मालिकाना, हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 724 रकबा 0.7600 हैक्टर का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

**—: आदेश:—**

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा लुण्डावास भू.अ.नि.क्षेत्र रूपावास पटवार हल्का चाडवास तहसील सोजत में प्रार्थीया की संयुक्त मालिकाना, हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 724 रकबा 0.7600 हैक्टर का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 21/03/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)